

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, रायपुर छ0ग0

// आदेश //

क्रमांक /१६ / एस.डब्लू. / 2020

रायपुर, दिनांक 31.03.2020


WHO के अनुसार कोरोना वायरस (COVID-19) एक संक्रामक बीमारी है। इसके संभाव्य प्रसार को देखते हुए इसके प्रसार को रोकने के लिये तथा इस पर नियंत्रण हेतु इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एस डब्लू / 2020 / 149 रायपुर दिनांक 23.03.2020 द्वारा आदेश प्रसारित किये गए हैं।

2. इस कार्यालय द्वारा जारी उक्त आदेश कि कंडिका "अ" अनुसार जिला रायपुर के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत संक्रमण से बचाव एवं स्वास्थ्यगत आपातकालीन स्थिति को नियंत्रण में रखने हेतु दिनांक 31.03.2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश जारी किया गया था।
3. राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भारत सरकार का आदेश क्रमांक 1-29 / 2020-PP(Pt.II) दिनांक 24.03.2020 एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार का आदेश क्रमांक 40-3 / 2020-DM-I(A) दिनांक 24.03.2020 के माध्यम से 25.03.2020 से लेकर आगामी 21 दिन अर्थात् 14 अप्रैल 2020 मध्य रात्रि तक पूरे देश में लॉकडाउन किये जाने का आदेश जारी किया गया है।
4. छत्तीसगढ़ शासन, मुख्य सचिव कार्यालय के पत्र क्रमांक / 211 / मु.स. / 2020 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 25.03.2020 के माध्यम से उपरोक्त कंडिका 3 में वर्णित भारत सरकार के आदेशों के अनुसार संपूर्ण प्रदेश में कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गए हैं।
5. अतः उपरोक्त कंडिकाओं में वर्णित आदेशों के परिपालन में इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एस डब्लू / 2020 / 149 रायपुर दिनांक 23.03.2020 अनुसार जिला रायपुर के समस्त सीमा क्षेत्र के अंतर्गत दिनांक 31.03.2020 रात्रि 12.00 बजे तक आदेशित पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के आदेश की समय-सीमा में वृद्धि करते हुए दिनांक 14.04.2020 रात्रि 12.00 बजे तक पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) का आदेश दिया जाता है। आदेश की शेष शर्तें यथावत् रहेगीं।
6. इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश क्रमांक एस डब्लू / 2020 / 149 रायपुर दिनांक 23.03.2020 की कंडिका "स" में वर्णित कार्यालय/प्रतिष्ठान को पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) के प्रतिबंध से शर्तों के अधीन छूट प्रदान की गई है। कंडिका "स" वर्णित सूची में वृद्धि करते हुए बढ़ते क्रम में निम्नानुसार कार्यालय/प्रतिष्ठान/सेवाओं को भी शर्तों के अधीन पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) से छूट प्रदान की जाती है।

स- 26. निम्न वस्तुओं/सेवाओं के निर्माण, भण्डारण, पैकेजिंग, परिवहन, वितरण, एवं विक्रय से संबंधित गतिविधियां :-


- पशु आहार, पक्षी आहार (Bird Feed) एवं मछली आहार से संबंधित वस्तुएं एवं सेवाएं, पशु चिकित्सा सेवाएं (Veterinary Services) एवं पेट्स शॉप एक्यूरियम (Pet Shops & Aquarium)।

- शिशु/बच्चों का आहार,
 - डिब्बा बंद स्वास्थ्य संपूरक आहार (Health Supplements) न्यूट्रास्यूटीकल्स (Nutraceuticals) डिब्बा बंद विशेष आहार के उपयोग के लिए भोजन (Food for Special Dietary Use)
 - पैकेज्ड फूड और बेवरेजेज (Packaged food and Beverages)
 - डिब्बा बंद पानी की बोतल (Packaged Water)
 - अनाज, तेल, मसाला एवं खाद्य सामग्री (Food Ingredients)
 - फल एवं सब्जियां
 - चावल, गेहूँ का आटा,
 - शक्कर एवं नमक,
 - चाय एवं कॉफी,
 - उर्वरक/कीटनाशक/बीज
27. उपरोक्त वर्णित उत्पादों की होम डिलीवरी सेवाओं एवं ई-कॉमर्स आधारित कंपनियों जैसे कि फ्लिप कार्ट, एमेजॉन, एमवे इंडिया इंटरप्राइजेस इत्यादि द्वारा आपूर्ति ।
28. खाद्य उत्पादों के भण्डारण हेतु कोल्ड स्टोरेज/वेयर हाउस ।
29. प्लांट/कारखानों के सुचारु रूप से संचालन हेतु आवश्यक उत्पाद जैसे कि :- कोयला, भूसी (Rice Husk), डीजल/फर्नेश ऑयल, इत्यादि ।
30. न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित ऐजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल ऐजेंसियां। इसमें मंडी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मंडिया भी शामिल है ।
31. किसानों एवं कृषि श्रमिकों द्वारा खेती करना
32. कृषि मशीनरी तथा कृषि उत्पाद से संबंधित दुकान,
33. कटाई एवं बुआई से संबंधित मशीनों जैसे कि हॉरवेस्टर एवं अन्य कृषि/बागवानी से संबंधित औजारों के अंतरजिला/अंतरराज्यीय परिवहन ।
34. उपरोक्त सूची में शामिल उत्पादों/सेवाओं के अंतरजिला/अंतरराज्यीय परिवहन ।
35. उपरोक्त सूची में शामिल उत्पादों के सहायता हेतु लगने वाले सभी कच्चे उत्पाद, पैकेजिंग उत्पाद ।
36. हर्मॉल सेवाएँ ।
7. कोरोना वायरस (COVID-19) के संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण को दृष्टिगत रखते हुये इस कार्यालय द्वारा जारी कार्यालयीन आदेश क्रमांक एस डब्लू /2020/149 रायपुर दिनांक 23.03.2020 के अनुक्रम (Continuation)में इस आदेश को जारी किया जा रहा है ।
- यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा ।


 कलेक्टर 23/03/20
 एवं जिला दण्डाधिकारी
 रायपुर

प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त, मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, गृह विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
2. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. आयुक्त, रायपुर संभाग रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
4. पुलिस महानिरीक्षक, रायपुर को सादर सूचनार्थ ।
5. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
6. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायपुर/बीरगांव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
7. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
8. उप संचालक, जनसंपर्क, रायपुर को सूचनार्थ एवं दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशनार्थ प्रेषित ।
9. सर्व तहसीलदार/कार्यपालिक दण्डाधिकारी, जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।
10. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
11. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका, नगर पंचायत रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।


कलेक्टर 31/03/20
एवं जिला दण्डाधिकारी
रायपुर